

फार्म

अचल सम्पत्ति का ब्यौरा वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) 2013

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जसमें वह हो डॉ. जी.डी. द्विवेदी 2. वर्तमान धारित पद श्रम पदाधिकारी, विधि अधिकारी एवं सहायक सचिव
3. वर्तमान वेतन 15600-39100+5400 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2014


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ग्राम मौहार तहसील सिंहावल जिला सीधी (म.प्र.)	गृह	3 एकड़ लगभग (कृषि भूमि)	30 लाख	श्री सुरेशधर द्विवेदी पिता (पैत्रिक)	विरासत	30,000.00	सामूहिक परिवार के रूप में सम्पत्ति है। बंटवारा नहीं हुआ है।
2. ग्राम देवरी तहसील सिंहावल जिला सीधी (म.प्र.)	गृह	10 एकड़ लगभग (कृषि भूमि)	50 लाख	श्री सुरेशधर द्विवेदी पिता (पैत्रिक)	विरासत	25,000.00	-
नोट :- उक्त जमीन एवं गृह पैत्रिक संपत्ति है जो अविभाजित सामूहिक परिवार के नाम से है जो सेवाकाल से पहले है।							

* जहां लागू न हो काट दीजिए.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे शामिल है.

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 में नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें.


(डॉ. जी.डी. द्विवेदी)
15.1.2014